न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 39/2020 निर्णय दिनांकः 18.2.2021

सुमेरमल पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर (राजस्थान)

प्रार्थी

—बनाम—

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भू–राजस्व श्रीडूंगरगढ़।

अप्रार्थी

उपस्थितिः—

1. श्री श्रवणराम गोदारा अभिभाषक वादी।
2. पैरोकार राज स्टेट की तरफ से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत

यह प्रार्थना पत्र सुमेरमल ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी के नाम से संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 908 तादादी 17.7000 हैक्टेयर (गै.मु. 0.1100 हैक्टे. व बारानी 17.5900 हैक्टे.), खसरा नम्बर 1043 तादादी 7.9500 हैक्टे. (गै.मु. 0.1500 हैक्टे. व बारानी 7.800 हैक्टे.) व खसरा नम्बर 813 तादादी 6.8500 हैक्टेयर बारानी रोही ग्राम उदरासर में स्थित है उक्त कृषि भूमि में से खसरा नम्बर 1043, 813 की कृषि भूमि प्रार्थी को गोद पिता से विरासत में प्राप्त हुई तथा खसरा नम्बर 908 की कृषि भूमि प्रार्थी ने खरीद की थी। प्रार्थी विरासतन इन्तकाल व कृषि भूमि खरीद करने से पूर्व अपने मूल निवास स्थान सवाई बड़ी तहसील सरदारशहर जिला चूरू में निवास करता था। जिस कारण राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम सुमेरमल की जगह सुमेराराम व साकिन सवाई बड़ी तहसील सरदारशहर जिला चूरू दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम सुमेरमल था तथा अब अपने परिवार सहित ग्राम उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में निवास करता आ रहा है। उक्त खेत पर प्रार्थी व सहखातेदारों का कब्जा–काश्त एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है प्रार्थी ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाकर बैंक से आवदेन किया तब बैंक ने राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी से पहचान के संबूत मांगे एवं प्रार्थी के स्वयं का नाम व निवास स्थान सही नहीं होने से वादी को बैंक ने ऋण देने से इनकार कर दिया प्रार्थी के नाम से बने आधार कार्ड, राशन कार्ड प्रार्थी का नाम सुमेरमल व साकिन उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर अंकित है जिस कारण बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से इनकार कर दिया एवं कहा कि राजस्व रिकार्ड मे स्वयं का नाम व साकिन सही करवाने पर ही लोन दिया जायेगा तब प्रार्थी ने अप्रार्थी से राजस्व रिकार्ड में मेरा नाम व निवास स्थान (साकिन) अपने आधार कार्ड, राशन कार्ड के अनुसार करने के लिए निवेदन किया तो अप्रार्थी ने रिकार्ड में प्रार्थी का नाम व साकिन सही करने से इनकार कर दिया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:36:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

प्रार्थी की विरासत व खरीद की गई कृषि भूमि है जो वादी को विरासत में प्राप्त व खरीद के अनुसार प्राप्त हुई है वादी के खेत खसरा नम्बर 908, 1043, 813 रोही ग्राम उदरासर के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम सुमेरमल की जगह सुमेराराम दर्ज हो गया है तथा अब ग्राम उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर में निवास करने लग गया है जिस कारण प्रार्थी को स्वय का नाम व साकिन सही करवाने का अधिकार है। प्रार्थी के खेत के राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी का नाम व साकिन राशन कार्ड, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के विपरीत होने के कारण प्रार्थी को कई तरह की परेशानिया आती है एवं प्रार्थी अपने खेत पर के.सी.सी. बनाने एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने से वंचित हो रहा है जिससे प्रार्थी अपने खेत को विकसित करने से वंचित है। प्रार्थी अपने नाम के आधार कार्ड, राशन कार्ड में स्वयं का नाम सुमेरमल व निवास स्थान उदरासर होने से वादी अपने खेत खसरा नम्बर 908, 1043, 813 रोही ग्राम उदरासर के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम सुमेरमल व साकिन उदरासर दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी ने उक्त प्रार्थनापत्र मे राजस्थान सरकार को पक्षकार संयोजित किया गया है स्टेट के विरूद्ध प्रार्थना पत्र दायर करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है स्टेट को दो माह का नोटिस दिया जाकर दो माह का इन्तजार किया जाता है तो के.सी.सी. का सिजनल समय निकल जायेगा और प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त प्रार्थना पत्र स्टेट के विरूद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नहीं मांगा गया है स्टेट द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण एवं रिकार्ड में संशोधित किया जाता है इसलिए स्टेट को पक्षकार संयोजित किया गया है। उक्त खेत रोही उदरासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के खेत खसरा नम्बर 908, 1043, 813 के घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान हाजा न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थी का प्रार्थनापत्र पूर्ण न्याय शुल्क एवं समयावधि के अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न प्रकार से आदेश फरमानें का निवेदन किया गया है

(क) कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 908 तादादी 17.7000 हैक्टेयर (गै.मु. 0.1100 हैक्टे. व बारानी 17.5900 हैक्टे.), खसरा नम्बर 1043 तादादी 7.9500 हैक्टे. (गै.मु. 0.1500 हैक्टे. व बारानी 7.800 हैक्टे.) व खसरा नम्बर 813 तादादी 6.8500 हैक्टेयर बारानी रोही ग्राम उदरासर मे प्रार्थी का नाम सुमेराराम की जगह जगह सुमेरमल व साकिन सवाईबड़ी तहसील सरदारशहर जिला चूरू की जगह– जगह साकिन उदरासर (साकिन देह) तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर घोषित किया जावें।

(ख) कि अप्रार्थी को आदेशित किया जावे कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 908, 1043, 813 रोही ग्राम उदरासर मे प्रार्थी के स्वयं का नाम सुमेराराम की जगह सुमेरमल व साकिन सवाई बड़ी तहसील सरदारशहर जिला चरू की जगह साकिन उदरासर (साकिन देह) दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में संशोधन करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:06:55 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर प्रार्थी हो अथवा दौराने प्रार्थना पत्र हितकर प्रार्थी हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की तरफ से पैरोकार राज ने जबाब पेश किया। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपति नहीं होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नम्बर 908 तादादी 17.7000 हैक्टेयर (गै.मु. 0.1100 हैक्टे. व बारानी 17.5900 हैक्टे.), खसरा नम्बर 1043 तादादी 7.9500 हैक्टे. (गै.मु. 0.1500 हैक्टे. व बारानी 7.800 हैक्टे.) व खसरा नम्बर 813 तादादी 6.8500 हैक्टेयर बारानी रोही ग्राम उदरासर मे प्रार्थी का नाम सुमेराराम की जगह सुमेरमल व साकिन सवाईबड़ी तहसील सरदारशहर जिला चूरू की जगह साकिन उदरासर (साकिन देह) शुद्ध करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ को दिये जाते है। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ़ तदनुसार राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करें।

आदेश आज दिनांक १४.२.२०२१ को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:06:55 IST
Reason: SelfAttested